बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांकः 1401 / प्रशा. / 2017 भोपाल, दिनांक 05 / 09 / 2017

:: आदेश ::

1. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.06.2014 में यू.जी.सी. की योजना मद के अंतर्गत सृजित पूर्णतः अस्थायी पदों पर निम्नांकित 11 सहायक प्राध्यापकों एवं 01 सहायक संचालक को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.09.2014 में लिए गए निर्णय अनुसार एक वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।

क.	शिक्षक का नाम	पदनाम	विषय एवं विभाग
1	डॉ. रेनु चौईथरानी	सहायक प्राध्यापक	फिजिक्स
2	डॉ. मनीष कुमार	सहायक प्राध्यापक	सोशियोलॉजी
3	डॉ. निधि सक्सेना	एसोशिएट प्रोफेसर	स्टेम सेल इंजीनियरिंग
4	सुश्री दिप्ती उपाध्याय	सहायक प्राध्यापक	बायोमेडिकल इंजीनियरिंग
5	डॉ. हरीश कुमार तिवारी	सहायक प्राध्यापक	फिजिकल एजुकेशन
6	डॉ. अंजू सिंह	सहायक प्राध्यापक	कम्प्युटर साइंस एंड इनफारमेशन टेक्नालांजी
7	डॉ. श्रुति अग्रवाल	सहायक प्राध्यापक	कम्युनिकेशन स्किल
8	श्री राजेश कुमार खाण्डे	सहायक प्राध्यापक	बायोटेक्नालांजी
9	डॉ. संगीता सोनी	सहायक प्राध्यापक	जेनेटिक्स
10	डॉ. श्रीकांत व्यास	सहायक प्राध्यापक	साइबर लॉ एंड इनफारमेशन टेक्नालांजी
11	डॉ. पंकज कुमार राय	सहायक प्राध्यापक	बायोटेक्नालांजी
12	डॉ. अरविंद कुमार	सहायक संचालक	

2. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभाग की पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के बिना संविदा नियुक्तियों के आदेश जारी करने तथा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधान के विपरीत कार्यवाही करने के फलस्वरूप श्री एल.एस. सोलंकी, कुलसचिव को प्रथमदृष्टया उत्तरदायी मानते हुए उन्हें दिनांक 14.08.2015 को निलंबित किया गया था।

3. कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के विरूद्व माननीय कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–14 की उपधारा (3) के अंतर्गत जॉच कराई गई है तथा जॉच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रकियाधीन है।

4. सक्षम प्राधिकारी (बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्) द्वारा बिन्दु क्रमांक 1 में उल्लेखित सभी 12 व्यक्तियों की नियुक्तियॉ पूर्णतः अवैध मानते हुए, निरस्त की जा चुकी है और सेवा वृद्वि के प्रस्ताव भी अमान्य किये जा चुके है। नियुक्ति शर्तो के अनुसार एवं मान. उच्च न्यायालय के निर्देश पर माह सितम्बर 2015 तक के उनके समस्त स्वत्वों का भुगतान किया जा चुका है।

5. नियुक्ति शर्तो के अनुरूप नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् बिन्दु क्रमांक 1 में वर्णित सभी 12 व्यक्तियों का विश्वविद्यालय से कोई आधिकारिक संबंध नही है।

निरंतर....2.....

6. तत्कालीन कुलपति डॉ. एम.डी. तिवारी द्वारा तथाकथित रूप से जारी आदेश (क्रमांक 98–99/व्ही.सी./2017 दिनांक 05.08.2017) नियम विरूद्व होने के कारण निष्प्रभावी एवं विधि शून्य है, अतः इस पर कोई कार्यवाही न की जाये।

7. यदि उक्त व्यक्तियों पर विश्वविद्यालय की कोई भी लेनदारी शेष हो, तो उसे यह आदेश जारी होने की तिथि से 7 कार्य दिवसों में कुलपति/कुलसचिव के संज्ञान में लाया जाये, ताकि वसूली की कार्यवाही की जा सके। अन्यथा उसके लिए संबंधित शिक्षकों/कर्मचारियों को उत्तरदायी माना जायेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल दिनांक 05/09/2017

पृ0कमांक 1402/प्रशा./2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्षों, शिक्षण विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री पुरूषेन्द्र कौरव, महाधिवक्ता, म.प्र. शासन, महाधिवक्ता कार्यालय, मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री समदर्शी तिवारी, अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में विश्वविद्यालय/ शासन के अधिवक्ता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री महेन्द्र पटेरिया, अधिवक्ता एवं संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में विश्वविद्यालय/शासन के अधिवक्ता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. वित्त नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी, विधि प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी, वेबसाईट सेल, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. आवासीय संपरीक्षा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. कुलपति के निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
14. संबंधित नस्ती।

उप–कुलसचिव (प्रशासन)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल